सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 17 जनवरी, 1975
पौष 27, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 19/सत्रह-वि--1-77-74

लखनऊ, 17 जनवरी, 1975

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 15 जनवरी, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1974

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1975

(जैसा कि उ0 प्र0 विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1952 ई० की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 ई0, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(खख) 'संकाय' का तात्पर्य धारा 41-क के अधीन संघटित होम्योपैथी संकाय से है;"

धारा 4 का प्रतिस्थापन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"4—बोर्ड में निम्नलिखित मेम्बर होंगे, अर्थात् :—

(क) सात मेम्बर जो राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डाक्टरों में से नामजद किये जायेंगे ;

(ख) तीन मेम्बर जो उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे ;

(ग) पांच ऐसे मेम्बर जिन्होंने होम्योपैथी में कम से कम दस वर्ष का चिकित्सा-कार्य किया हो, जो राज्य के रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डाक्टरों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे ;

(घ) कानपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मेम्बर, जो होम्योपैथी संकाय के बोर्ड यदि संघटित किया जाय, के मेम्बरों द्वारा और जब तक कि ऐसा बोर्ड संघटित न हो जाय उक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(ङ) उप निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(च) प्राचार्य, नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ, पदेन ।"

धारा 17 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 17 में:—

(1) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(च) वह किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से होम्योपैथ के रूप में चिकित्सा-कार्य करने से विवर्जित कर दिया गया हो ; या" ;

(2) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(छ) वह किसी लाभप्रद पद पर हो या बोर्ड के अधीन कोई सेवायोजन स्वीकार करे ;"

(3) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) और (च) में अभिदिष्ट अयोग्यताएं राज्य सरकार के आदेश से हटाई जा सकती हैं।"

धारा 22 का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 22 निकाल दी जाय।

धारा 41 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 41 में,

(क) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(1) धारा 41-क के अधीन संघटित संकाय की सिफारिश पर सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ होम्योपैथिक शैक्षिक अथवा शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता को निलम्बित करना अथवा वापस लेना ;"

(ख) खण्ड (2), (3), (6), (7) तथा (8) निकाल दिये जायें।

नयी धारा 41-क, 41-ख तथा 41-ग का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 41 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायें, अर्थात्:—

"41-क—(1) होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में शिक्षण तथा परीक्षण निकाय के रूप में अपने कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का समुचित निर्वहन करने के लिए बोर्ड होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में एक संकाय संघटित करेगा।

संकाय का संघटन

(2) संकाय में निम्नलिखित मेम्बर होंगे, अर्थात् :—

(क) उप निदेशक, होम्योपैथी, जो संकाय का पदेन डीन होगा ;

(ख) एक मेम्बर, जो धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित मेम्बरों द्वारा अपने में से निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायगा ;

(ग) कानपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित मेम्बर ;

(घ) एक मेम्बर, जो खण्ड (ख) तथा (ग) में अभिदिष्ट बोर्ड के मेम्बरों से भिन्न मेम्बरों द्वारा अपने में से, निर्धारित रीति से निर्वाचित किया जायगा ;

(ङ) प्राचार्य, नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ पदेन जो संकाय का सचिव भी होगा।

(3) संकाय, चार से अनधिक मेम्बरों को ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो निर्धारित किये जायं निर्धारित रीति से सहयोजित कर सकता है।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन संकाय का कोई मेम्बर बोर्ड का मेम्बर न रह जाने पर, ऐसा मेम्बर न रह जायगा।

41-ख.—(1) संकाय की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात्:—

संकाय की शक्तियां तथा कृत्य

(क) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें बोर्ड उचित समझे, सामान्य शिक्षण अथवा विशेष या प्रबोधन अनुक्रम के लिए विषयों की पढ़ाई तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करना ;

(ख) परीक्षाएं लेना और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में विषयों का अध्ययन किया हो, डिप्लोमा प्रदान करना ;

(ग) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा निवास स्थान तथा अनुशासन के सम्बन्ध में किये गये प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए प्रबन्ध करना ;

(घ) परीक्षकों की नियुक्ति और बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशित करना ;

(ङ) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करना और ऐसे निरीक्षणों के आधार पर कार्यवाही करने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना ;

(च) होम्योपैथिक संस्थाओं को सम्बद्धता के लिए तथा ऐसी सम्बद्धता को निलम्बित करने अथवा वापस लेने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना ;

(छ) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में विभिन्न विषयों की पढ़ाई में प्रवेश की नीति के सिद्धान्त तथा प्रतिमान निर्धारित करना।

41-ग.—होम्योपैथिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी मामले पर संकाय तथा बोर्ड के बीच कोई मतभेद होने की दशा में वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का उस पर निर्णय अन्तिम होगा।"

बोर्ड तथा संकाय के बीच मतभेद होने पर मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा

8.—मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

नई धारा 53-क का बढ़ाया जाना

"53-क.—(1) राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा की गयी अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित निदेश, इत्यादि किसी बात के सम्बन्ध में अथवा किसी ऐसे अन्य मामले में जो बोर्ड से सम्बन्धित हो, अपनी राय को लिखित रूप में संसूचित करने तथा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सलाह देने की शक्ति होगी।

राज्य सरकार की शक्ति

(2) बोर्ड ऐसी सलाह पर की गयी अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, संसूचना राज्य सरकार को देगा।

(3) यदि बोर्ड युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार आवश्यक कार्यवाही करने में असफल रहे तो राज्य सरकार बोर्ड द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण अथवा प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(4) यदि राज्य सरकार की राय में, बोर्ड से सम्बन्धित किसी विषय में, बोर्ड का कार्य समुचित रूप से किये जाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वहँ बोर्ड से पूर्व परामर्श किये बिना, स्वयं ही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो आवश्यक हो और उसकी सूचना बोर्ड को दी जायगी।"

9.—मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

धारा 56 का संशोधन

(1) खण्ड (क) निकाल दिया जाय,

(2) खण्ड (थथ) तथा (थ थ थ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(थ थ) अवधि तथा प्रयोजन जिसके लिए धारा 41-क की उपधारा (3) के अधीन संकाय द्वारा मेम्बर सहयोजित किये जा सकते हैं।"

No. 19 (2) /XVII-V–1-77-74

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Momoeopathic Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 15, 1975 :-

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) ACT 1974

(U. P. Act No. 1 of 1975)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1974.

Amendment of section 2 of U. P. Act VIII of 1952.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (*b*), the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(*bb*) 'Faculty' means the Faculty of Homoeopathy constituted under section 41-A ;"

Substitution of section 4.

3. *For* section 4 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely—

"4. The Board shall consist of the following members, namely—

(*a*) seven members to be nominated by the State Government from amongst the registered homoeopaths ;

(*b*) three members to be elected in the manner prescribed by the teachers of the recognised homoeopathic institutions of Uttar Pradesh from amongst themselves ;

(*c*) five members who have put in at least ten years' practice in homoeopathy to be elected in the manner prescribed by the registered homoeopaths of the State from amongst themselves ;

(*d*) one member to represent the Kanpur University to be elected by the members of the Board of the Faculty of Homoeopathy, if constituted, and for so long as such Board is not constituted, by the members of the Academic Council of the said University ;

(*e*) the Deputy Director, Homoeopathy, Uttar Pradesh *ex officio* ;

(*f*) the Principal, National Homoeopathic College, Lucknow, *ex officio* ;"

Amendment of section 17.

4. In section 17 of the principal Act,—

(i) *for* clause (*f*), the following clause shall be *substituted,* namely—

"(*f*) he is debarred from practising in Homoeopathy by order of any competent authority ; or" ;

(ii) *for* clause (*g*), the following clause shall be *substituted,* namely—

"(*g*) he holds any office of profit or accepts any employment under the Board";

(iii) *for* the proviso thereto, the following proviso shall be *substituted,* namely :

"Provided that the disqualifications referred to in clauses (*e*) and (*f*), may be removed by an order of the State Government."

Omission of section 22.

5. Section 22 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 41.

6. In section 41 of the principal Act—

(*a*) *for* clause (1), the following shall be *substituted*, namely—

"(1) on the recommendation of the Faculty constituted under section 41-A, to recognise homoeopathic educational or institutional institutions for purposes of affiliation and to suspend or withdraw such recognition ;" ;

(*b*) clauses (2), (3), (5), (7) and (8) shall be *omitted*.

Insertion of new sections 41-A, 41-B and 41-C.

7. *After* section 41 of the principal Act the following sections shall be *inserted*, namely :—

Constitution of Faculty.

"41-A. (1) *For* the proper discharge of its duties and functions as a teaching and examining body in the Homoeopathic system of medicine, the Board shall constitute a Faculty of Homoeopathic System of Medicine.

(2) The Faculty shall consist of the following members, namely :—

(*a*) the Deputy Director, Homoeopathy, who shall be the *ex officio* Dean of the Faculty ;

(*b*) one member to be elected in the prescribed manner by the members elected under clause (*b*) of section 4 fro mamongst themselves ;

(*c*) the member representing the Kanpur University elected under clause (*d*) of section 4 ;

(*d*) one member to be elected in the prescribed manner by the members of the Board other than those referred to in clauses (*b*) and (*c*) from amongst themselves ;

(*e*) the Principal, National Homoeopathic College, Lucknow, *ex officio*, who shall also be the Secretary of the Faculty.

(3) The Faculty may co-opt in the manner prescribed not more than four members for *such period and such purposes as may be prescribed*.

(4) A member of the Faculty under clause (*b*), clause (*c*) or clause (*d*) of sub-section (2) shall cease to be such member on his ceasing to be a member of the Board.

Powers and duties of Faculty.

41-B. The Faculty shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to prescribe courses of study and curriculla for general instruction or special or refresher courses in institutions affiliated to the Board in such branches of the Medical Science of Homoeopathy as the Board may think fit ;

(*b*) to hold examinations and to grant diplomas to persons who shall have pursued a course of study in the institutions affiliated to the Board ;

(*c*) to exercise general supervision over the residential and disciplinary arrangements made by the institutions affiliated to the Board and to make arrangements for promoting the health and general welfare of their students ;

(*d*) to appoint examiners and publish the results of the examinations held by it ;

(*e*) to cause inspections of the institutions affiliated to the Board, and to recommend to the Board for taking action on the basis of such inspections ;

(*f*) to make recommendations to the Board for the affiliation or for suspension or withdrawal of such affiliation of homoeopathic institutions ;

(*g*) to lay down the principles and norms governing the policy of admission to various courses of studies in the institutions affiliated to the Board.

Difference of opinion between the Faculty and the Board.

41-C. In the event of disagreement between the Faculty and the Board on any matter relating to homoeopathic education a reference shall be made to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.".

Insertion of new section 53-A.

8. *After* section 53 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely :—

Powers of State Government to issue direction, etc.

"53-A. (1) The State Government shall have power to communicate its views in writing to the Board in respect of anything done or purporting to be done by the Board or any other such matter as may concern the Board and to advise the Board regarding the action to be taken :

(2) The Board shall communicate to the Government the action, if any, taken or proposed to be taken on such advice.

(3) Where the Board fails to take necessary action to the satisfaction of the State Government within a reasonable time, the State Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with the provisions of this Act, as it may think fit and the Board shall comply with such directions.

(4) Where in the opinion of the State Government, immediate action is required to be taken for proper functioning of the Board in respect of any matter concerning the Board, the State Government may *suo motu* and without prior consultation with the Board, take such action consistent with the provisions of this Act as may be necessary and the same shall be communicated to the Board."

Amendment of section 56.

9. In section 56 of the principal Act, in sub-section (2)—

(i) clause (*a*) shall be *omitted* ;

(ii) *for* clauses (*qq*) and (*qqq*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*qq*) The period and purposes for which members may be co opted by the Faculty under sub-section (3) of section 41-A ;"

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०—299सा०विधा०—1975—525(मेक०) ।